राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–7)
(Email: pdfa.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः प.13(सीएऑडिट)ग्रावि/ग्रुप–7/2019–20/2713-45 जयपुर दिनांक 15-04-2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
समस्त (राजस्थान)।

::–परिपत्र–::

राज्य में जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों के वार्षिक लेखों के अंकेक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी लेखांकन पद्धति के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा सनदी लेखाकार की नियुक्ति में विलम्ब नहीं हो इस हेतु पूर्व में परिपत्र दिनांक 05.05.2008 के अनुसार लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही सम्पादित करने हेतु विभाग स्तर से पूर्व में निम्नानुसार परिपत्र जारी किये गये है।

1. क्रमांक प.13(सी.ए.ऑडिट) ग्राविवि/ग्रुप–7/2012/1050–82 दिनांक 20.05.2014
2. क्रमांक प.13 (सी.ए.ऑडिट) ग्राविवि/ग्रुप–7/2012/346–78 दिनांक 05.05.2015
3. क्रमांक प.13 (सी.ए.ऑडिट) ग्राविवि/ग्रुप–7/2012/1733 दिनांक 09.05.2016
4. क्रमांक प.13 (सी.ए.ऑडिट) ग्राविवि/ग्रुप–7/2012/5299 दिनांक 18.04.2017
5. क्रमांक प.13 (सी.ए.ऑडिट) ग्राविवि/ग्रुप–7/2012/1659–92दिनांक 05.04.2018
6. क्रमांक प.13(सी.ए.ऑडिट)ग्राविवि/ग्रुप–7/2012/1290–1322दिनांक 21.05.2019
7. क्रमांक प.13(सी.ए.ऑडिट)ग्राविवि/ग्रुप–7/2012/534–566 दिनांक 26.05.2020

प्रायः यह देखने में आया है कि उक्त परिपत्र जारी किये जाने के बावजूद भी कई जिलों से समेकित अकेक्षित वार्षिक लेखे निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किये जा रहे है। अतः भविष्य में समेकित अकेक्षित वार्षिक लेखे समय पर प्रेषित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावेंः–

1. जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) द्वारा उनके **गत वर्ष के लेखों के अंकेक्षण हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रेल तक उपयुक्त सनदी लेखाकार का चयन आवश्यक रूप से किये जाने के निर्देश है।** यदि आप द्वारा यह कार्यवाही नहीं की गई है तो अविलम्ब प्रकिया प्रारम्भ कर चयन कर सूचना प्रेषित करें।

2. जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र) द्वारा चयनित सनदी लेखाकार को जारी कार्य आदेश में वांछित कार्य–शर्तों (Scope of work) का पूर्ण उल्लेख किया जावें। ताकि सनदी लेखाकार से कार्य सम्पादन में किसी बिन्दु पर कोई संशय की स्थिति न रहें।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र) हेतु जारी "लेखाकन प्रकिया संशोधित 2001" के अनुसार निर्धारित समयावधि में योजनावार एवं समेकित वार्षिक लेखों का अंकेक्षण कार्य पूर्ण कराया जाकर अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) जारी करेंगे।

4. प्रत्येक योजना के वार्षिक लेखों एवं समेकित वार्षिक लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) 30 मई तक भारत सरकार, महालेखाकार एवं राज्य सरकार को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

गत वर्षों में यह देखने में आया है कि जिला परिषदों (ग्रा.वि.प्र) के अंकेक्षित समेकित वार्षिक लेखे निर्धारित तिथि तक न भिजवाए जाकर विलम्ब से, (बिना विलम्ब के कारणों से अवगत कराते हुए) भिजवाए जाते है, जिसके सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदन में अनुच्छेद लिए जाते रहे है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के समेकित अंकेक्षित वार्षिक लेखें 30 मई, 2021 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। बकाया चल रहे अवधि के भी अंकेक्षित वार्षिक लेखें बिना विलम्ब के भिजवाए जावें। उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कर बिन्दुवार सूचना प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. कृष्ण कान्त पाठक)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग